22.03.2022

आरोपीगण जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू, रामगोपाल सिंह एवं अनिल सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री शेषनाथ मौर्य ने उपस्थित होकर तत्काल सुनवाई बावत आवेदन पत्र पेश किया गया।

आवेदन में दर्शित कारण सदभाविक प्रतीत होने आवेदन सुनवाई में लिया गया।

इसी स्तर पर प्रार्थी एवं आरोपीगण की ओर से संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन अंतर्गत धारा 320(1) एवं 320(2) द0प्र0सं0 का पेश किया गया।

प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(1) एवं 320(2) पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया गया।

प्रकरण में आहत/प्रार्थी विनोद कुमार नागेश उपस्थित होकर स्वयं के पहचान पत्र के संबंध में आधार कार्ड स्वतः प्रमाणित छायाप्रति पेश किया है। **उपस्थित प्रार्थी विनोद कुमार नागेश** का राजीनामा बयान लेखबद्ध किया गया। प्रकरण में उपस्थित व्यक्ति राजीनामा करने हेतु सक्षम व्यक्ति होना दर्शित है।

प्रार्थी से पूछे जाने पर प्रार्थी के द्वारा स्वेच्छापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया गया तथा बिना किसी भय एवं दबाव के आरोपीगण से राजीनामा करना बताया गया। उभयपक्ष के मध्य निर्मित अच्छे संबंध को देखते हुए राजीनामा करने की अनुमति दी जावे।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि **अभियुक्त जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू,**

रामगोपाल सिंह एवं अनिल सिंह के विरूद्ध **धारा 294, 506बी, 323, 34 भा0दं0सं0** के तहत अपराध का आरोप है। प्रार्थी अपराध का शमन करने के लिए सक्षम पक्षकार है।

प्रार्थी ने उपस्थित होकर स्वेच्छापूर्वक बिना किसी डर, दबाव एवं प्रलोभन के अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाना व्यक्त किया है। राजीनामा करने के लिये प्रार्थी सक्षम व पीड़ित पक्षकार हैं। राजीनामा विधि के अनुकूल है। **धारा 294, 506बी, 323, 34 भा0दं0सं0** शमन योग्य है, अतः शमन योग्य धारा में राजीनामा के आधार पर धाराओं 320(8) दं0प्र0सं0 के प्रभाव में आरोपीगण को **दोषमुक्त** किया जाता है।

प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, नस्तीबद्ध कर, नियत अवधि में अभिलेख अभिलेखागार भेजा जाए।

(कु0 खिलेश्वरी सिन्हा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा छ0ग0